न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 22 / 2023

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुगानगढ़

——प्रार्थी

बनाम
श्री गुरमीत पुत्र सुखराज सिंह निवासी ग्राम नथोर तहसील राणिया जिला सिरसा, हरियाणा।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2 श्री अनिल कुमार शर्मा अभि. अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —30.06.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान जॉच करने के लिए हरिपुरा—संगरिया रोड पर पिकअप नम्बर HR 57A 8481 को रूकवाकर तलाशी ली गई। मौके पर पिकअप नम्बर HR 57A 8481 चालक ने स्वयं को गुरमीत पुत्र सुखराम निवासी नथोर तहसील राणिया जिला सिरसा हरियाण का होना बताया गया एवं स्वयं की उपस्थिति में तलाशी की कार्यवाही करवाई। तलाशी के दोरान पिकअप मे 12 प्लास्टिक ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। मुताबिक वाहन चालक गुरमीत उक्त कैम्पर में भरा समस्त डीजल परसराम शुभकरण पेट्रोल पम्प कन्दुखेडा (पंजाब) से खरीदा किया गया है एवं खरीद किये गये डीजल के बिल प्रस्तुत किये परन्तु उपयोग व परिवहन के सम्बन्ध में सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये डीजल का माप किया गया जो 2966 लीटर होना पाया गया। वाहन चालक गुरमीत द्वारा जाहिर किया गया कि उक्त समस्त डीजल उसके स्वयं के द्वारा एक समय में ही खरीदा गया है। चुंकि पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण, और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(झ) के अनुसार एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लीटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद का विक्रय नहीं किया जा सकता है। अतः वाहन में भण्डारित 2966 लीटर डीजल की मात्रा उक्त आदेशों का उल्लंघन है। पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण, और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2 (झ) एव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 2966 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम, डीजल क्रय के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

बिल तथा बोलेरो कैम्पर नम्बर HR 57A 8481 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री पुलिस थाना संगरिया को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 2966 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम राजसात करने के आदेश फरमावें। चूंकि जब्त डीजल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील पदार्थ है, को अंतरिम निस्तारण के भी आदेश फरमाने का श्रम करें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वरवक्त जांच अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रार्थी काश्त के वाहन चालक गुरगीत से 1001+520+967+478 कुल 2966 लीटर डीजल बरामद किया गया। उक्त बरामद शुदा डीजल जिसमें 1521 लीटर डीजल प्रार्थी सुनील कुमार वाहन मालिक का है प्रार्थी सुनील जो कि एक कृषि पेशा व्यक्ति है, को अपने भूमि सुधार एवं कृषि कार्य हेतु वाहन में मंगवाया गया जो कि प्रार्थी द्वारा कृषि उपयोग हेतु लिया जाना था व शेष 1445 लीटर डीजल जो कि प्रार्थी अजीत कुमार का है जो कि कृषि उपयोग हेतु मंगवाया गया था। प्रार्थीगण का उक्त जब्त शुदा डीजल का उपयोग केवल कृषि कार्य हेतू किया जाना था। प्रार्थीगण कृषि पेशा व्यक्ति है जो कि मुताबिक विधि डीजल अन्य राज्य से खरीद करता है जबकि इसके विपरित अन्वेक्षण अधिकारी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया जिसमें साबित हो कि प्रार्थीगण का उक्त जब्तशुदा डीजल का उपयोग गैर कृषि कार्य हेतु किया जाना हो। प्रार्थीगण जो कि एक लघु किसान है व प्रार्थीगण को डीजल प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थीगण का नुकसान कारित होगा व जो कि नैसर्गिग सिद्धांतो के विपरित हैं। अतः जबाब प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही Drop फरमायी जाकर प्रार्थीगण का जब्त शुदा डीजल प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जाने का आदेश फरमाया जावें

राजकीय अभिभाषक ने दौरान बहस कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 2966 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम को जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। लाईसेंस, परमिट के अभाव में जब्ताशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान आदि अवैध भण्डारण एवं कारोबार है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया मनन अवलोकन करने पर पाया कि:–

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

1. राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी गुरमीत पुत्र सुखराज सिंह से 12 ड्रमों में 2966 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया जब्तशुदा सामान एक ही अप्रार्थी गुरमीत पुत्र सुखराज सिंह से जब्त किया गया है।
2. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में जब्तशुदा डीजल अप्रार्थी व अप्रार्थी के दो कृषक साथी अपने कृषि कार्य हेतु अन्य राज्य से एक साथ लेकर आना बताया है। परन्तु अप्रार्थी व अप्रार्थी के साथी इस न्यायालय में यह सिद्ध नहीं कर पाये कि दोनो एक साथ उक्त जब्तशुदा डीजल लाये थे।
3. पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश 1999 की धारा 2एफ के तहत 2500 लीटर तक एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा 2500 लीटर से अधिक डीजल का परिवहन किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। न ही जांच के वक्त लाईसेन्स / परमिट की कॉपी पेश की।

अतः उक्त जब्तशुदा 2966 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ